उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1 राजविहार चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक 766 / ।।।–संविदा चालक भर्ती / 16, दिनांक 13 दिसम्बर,2016

1. मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून / नैनीताल / टनकपुर क्षेत्र।

2. सहायक महाप्रबन्धक(कार्मिक)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून / नैनीताल क्षेत्र।

3. सहायक महाप्रबन्धक(तकनीकी)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
टनकपुर क्षेत्र।

4. सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून / नैनीताल / टनकपुर क्षेत्र।

विषय– निगम में संविदा के रूप में चालको की भर्ती हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के सबंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम में संविदा के रूप में संविदा चालक के पदो पर भर्ती की प्रकिया प्रारम्भ हो चुकी है, जिस हेतु दिनांक 13–12–2016 को उत्तराखण्ड राज्य के दैनिक समाचार पत्रो (दैनिक जागरण एवं अमर उजाला) में विज्ञापन प्रकाशित कराया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आप अपने स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. निगम के तीनों क्षेत्रों के मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) कार्यालय में संविदा चालक पद हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के रख रखाव हेतु तत्काल एक 'सैल' बना लिया जाये जिसमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किये जाये, की सूची उनके मोबाईल नं0 सहित निगम मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।
2. तीनों क्षेत्रों में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का विवरण एक अलग पंजिका में अंकित किया जाये तथा अन्तिम तिथि 26–12–2016 के पश्चात किसी भी आवेदन पत्र को पंजिका में अंकित न किया जाये।
3. तीनों क्षेत्रों में प्रतिदिन जो आवेदन पत्र प्राप्त होगें उन्हें दिनांक 28–12–2016 से खोलते हुये उसका विवरण तत्समय मुख्यालय द्वारा निर्देशित एक पंजिका में रखा जाये।
4. मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) / सहायक महाप्रबन्धक(कार्मिक) एवं सहायक महाप्रबन्धक (वित्त), देहरादून / नैनीताल क्षेत्र तथा मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) / सहायक

महाप्रबन्धक(तकनीकी) एवं सहायक महाप्रबन्धक (वित्त), टनकपुर क्षेत्र प्रतिदिन संयुक्त रूप से उपरोक्त पंजिका का निरीक्षण कर अपने हस्ताक्षर करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिदिन सॉयकाल तक प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि पंजिका में अंकित हो जाये। प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का विवरण अगले दिन तीनो अधिकारियों द्वारा अपने संयुक्त हस्ताक्षर से निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु तीनो अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगें।

5. यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने में कोई असुविधा न हो तथा इसमें पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये।

6. संविदा भर्ती के अन्तर्गत संविदा चालक पद हेतु जारी विज्ञापन संख्या–01/2016 की एक प्रति कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन)/कार्यालय सहायक महाप्रबन्धक (डिपो), देहरादून/नैनीताल/टनकपुर क्षेत्र एवं आई0एस0बी0टी0, देहरादून/दिल्ली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करायेगें।

7. **इसके अतिरिक्त यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की मॉग की जाती है तो उसको मण्डलीय कार्यालय एवं डिपो कार्यालय से आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।**

विज्ञापन के अनुसार आवेदनकर्ता अपना आवेदन केवल मण्डलीय कार्यालय में सीधे भी प्राप्त करायेगा इस कारण से दिनांक 13–12–2016 से आवेदन पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त होने प्रारम्भ हो जायेगें।

डिपो कार्यालय में किसी भी दशा में आवेदनकर्ता का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अतः इस कार्य को तत्परता के साथ एवं उच्च प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

(दीपक जैन)
महाप्रबन्धक(संचालन/तकनीकी)
निगम मुख्यालय।

<u>प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय के वैयक्तिक सहायक को महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक, निगम मुख्यालय।
3. महाप्रबन्धक,(प्रशासन/कार्मिक) निगम मुख्यालय।
4. उप महाप्रबन्धक(तकनीकी), निगम मुख्यालय।
5. समस्त सहायक महाप्रबन्धक, देहरादून/नैनीताल/टनकपुर क्षेत्र एवं आई0एस0बी0टी0, देहरादून/दिल्ली को अनुपालनार्थ प्रेषित।

महाप्रबन्धक(संचालन/तकनीकी)
निगम मुख्यालय।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

संविदा के अन्तर्गत चालक पद पर भर्ती विषयक।

विज्ञापन संख्या– 01 दिनांक 13–12–2016

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के देहरादून, नैनीताल एवं टनकपुर क्षेत्र के अन्तर्गत 386 संविदा चालक की तकनीकी टैस्ट के आधार पर संविदा के रूप में निम्नवत् भर्ती की जानी है:–

संविदा चालक पद पर भर्ती की प्रकिया निम्नवत् रहेगी:–

1– निगम में 386 संविदा चालको की रिक्तियों एवं उनके पद की शैक्षिक/तकनीकी अर्हताओ का विवरण निम्नवत् है:–

क्षेत्रवार उपलब्ध पदों की संख्या।

क्षेत्र का नाम	क्षेत्रवार निर्धारित रिक्तियो का विवरण	संवर्गवार रिक्तियो का विववरण			
		अनुसूचित जाति (19 प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (4 प्रतिशत)	पिछड़ा वर्ग (14 प्रतिशत)	सामान्य वर्ग
देहरादून	161	31	6	23	101
नैनीताल	129	25	5	18	81
टनकपुर	96	18	4	13	61
योग	**386**	**74**	**15**	**54**	**243**

नोट:– रिक्तियों की संख्या यथा आवश्यकता घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

संविदा चालक की शैक्षिक/तकनीकी अर्हता निम्नवत् होगी:–

(क) विज्ञापन की तिथि से पूर्व कक्षा–8 उत्तीर्ण होना चाहिये।

(ख) विज्ञापन की तिथि को भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष पुराना लाईसेंस, जिसमें पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने का कम से कम 3 वर्ष पुराना इन्डोर्समेन्ट एवं एक वर्ष पुराना हिल इन्डोर्समेन्ट आवश्यक होगा।

(ग)ऊँचाई

1– मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये 5 फिट 5 इंच।
2– पहाडी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये 5 फिट 2 इंच।

पहाडी क्षेत्र का तात्पर्य ऐसा होगा जैसा उत्तराखण्ड शासन व्दारा जारी शासनादेश में अधिसूचित किया जाये।

संविदा चालको का मानदेय–

संविदा चालकों को मानदेय का भुगतान उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप देय होगा। वर्तमान में देय दरे निम्नवत् है, जिनमें समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाता रहा है:–

निगम बसों हेतु मानदेय :–

मार्ग श्रेणी	वर्तमान में प्रतिकि0मी0 निर्धारित देय दर
मैदानी मार्ग	रू0 1.69 पैसे
पर्वतीय मार्ग	रू0 2.06 पैसे

JNNURM बसो हेतु मानदेयः–

मार्ग श्रेणी	वर्तमान में प्रतिकि0मी0 निर्धारित देय दर
मैदानी मार्ग पर 709 मॉडल की बसों हेतु	रू0 2.06 पैसे
मैदानी मार्ग पर सेमी लो फलोर की बसों हेतु	रू0 2.19 पैसे
पर्वतीय मार्ग	रू0 2.46 पैसे

2– आयु – अभ्यर्थी की आयु 1–7–2016 को 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ,अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

3– चरित्र– संविदा मे भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह संविदा मे नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। वह :–

(एक)– यथास्थिति, ऐसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था जिसमें वह अन्तिम बार पढा हो, के प्राक्टर या प्रधानाचार्य से , या

(दो)– दो राजपत्रित अधिकारियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो और उसके निजी जीवन से भलीभांति परिचित हों, सचरित्रता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्व–वृत्त के सम्बन्ध में ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारियों से जैसा आवश्यक समझा जाय, अग्रेतर जांच कर सकता है।

टिप्पणीः–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधान या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा ,पदच्युत व्यक्ति सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

4– वैवाहिक प्रास्थिति– संविदा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो ।

परन्तु इस विषय पर सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेशो के अधीन रहते हुए , निगम इस विनियम के प्रर्वतन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

5– शारीरिक स्वस्थता–(एक) किसी अभ्यर्थी को संविदा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यो का पालन करने मे बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी या निगम द्वारा नाम निर्दिष्ट या अनुमोदित किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्वस्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

(दो)– संविदा चालक के पद पर नियुक्त व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रति वर्ष या ऐसे अन्तराल पर जैसा महाप्रबन्धक द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय,चिकित्सकीय परीक्षण, विशेषतः दृष्टि परीक्षण कराये।

(तीन)– उप विनियम (दो) में निर्दिष्ट स्वस्थता परीक्षण में अनुतीर्ण व्यक्ति की संविदा सेवाये समाप्त की जा सकती है।

6– **आरक्षण–** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों हेतु 19 प्रतिशत, अनुसूचित जन जातियों हेतु 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछडे वर्ग हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन व्दारा ज्ारी शासनादेश में निर्धारित नीति के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों हेतु 5 प्रतिशत, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों हेतु 2 प्रतिशत उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर ही अनुमन्य होगा।

उत्तराखण्ड के आन्दोलनकारियों एवं अन्य वर्गो हेतु क्षैतिज आरक्षण एवं आयु सम्बन्धी नियम तत्समय उत्तराखण्ड प्रदेश में लागू शासनादेश के अनुसार होगें।

7– आरक्षित पदों हेतु उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी व्दारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

8– संविदा चालक पद हेतु आवेदन पत्र प्रेषण के समय लिफाफे के ऊपर जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका पदनाम लिखा होना चाहिए तथा आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा रू0 40.00 का डाक टिकट लगा लिफाफा (27X12 सेमी0) संलग्न होना अनिवार्य है।

9– अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा निरस्त कर दिए जाएंगे।

10– शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण/प्रशिक्षण सम्बंधी प्रमाण पत्रों व अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित छाया प्रति अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

11– निगम में आवेदन पत्र जमा करने की तिथि तक अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य होगा।

12– संविदा चालक पद हेतु सामान्य श्रेणी/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यथियो के लिये रू0 200.00 (दो सौ रूपये), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियो के लिये रू0 100.00 (एक सौ रूपये) का परीक्षा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट व्दारा जो कि मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन) उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून/नैनीताल/टनकपुर (जैसी भी स्थिति हो) के नाम देय होगा, संलग्न किया जायेगा।

13– (1) संविदा चालक पद पर भर्ती हेतु अभ्यार्थी की परीक्षा मुख्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा ली जायेगी।

संविदाचालक पद हेतु टैस्ट 100 अंको का होगा जिसमें निम्न बिन्दुओ के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का वाहन चलवा कर टैस्ट की कार्यवाही की जायेगी।

<u>टैस्ट हेतु निर्धारित मद पूर्णांक</u>

(अ)	वाहन चलाने से पूर्व उसका तेल/पानी हवा आदि की जांच	5
(ब)	स्टार्ट करते समय आवश्यक सावधानी बरतना	5
(स)	गेयर चेन्जिंग	10
(द)	क्लच पैडल पर चलाते समय पैर न रखना	5
(इ)	स्टेयरिंग कन्ट्रोल	20
(फ)	ब्रेक का प्रयोग किसी अन्य सवारी को ओवर टेक करते समय	10

(ज)	सामने से आने वाले दूसरे वाहन की स्पीड व निकलने की जगह का अन्दांज	10
(च)	बैक ब्यूमिरर व हार्न का प्रयोग	5
(ई)	वाहन चलाने हेतु सभी प्रकियाओं के सम्मिलित प्रयोग की क्षमता	10
(जे)	ट्रैफिक साईन व सिंगनल का ज्ञान	5
(के)	स्वास्थ्य, ऊँचाई	5
(ल)	व्यवहार, नम्रता व पर्सनाल्टी	10
	योग	100

नोटः— उपरोक्त टेस्ट में कम संख्या—3 गियर चेंजिंग्स, कम संख्या—5 स्टेरिंग कन्ट्रोल, कम संख्या—6 ब्रेक का प्रयोग, कम संख्या—7 ओवर टेकिंग का अन्दाज एव कम संख्या—9 वाहन चलाने की सभी प्रकियाओं के प्रयोग की क्षमता के पांच मुद्दो में पूर्ण अंक पाने वाले को ही फिट समझा जायेगा। इन बिन्दुओ पर या तो पूर्ण अंक दिये जायेगे, अथवा शून्य दिया जायेगा।

1— वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत एजेन्सी/बाहृय स्रोत चालको को अर्हकारी परीक्षा में वरीयता के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 10 अंक अनुमन्य होगे। एजेन्सी/बाहृय स्रोत चालको को भी अन्य अभ्यर्थियो की भॉति ही टैस्ट/परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इसमें कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

2— वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत एजेन्सी/बाहृय स्रोत चालको को उनकी नियुक्ति के वर्ष से वर्तमान तक कार्य अवधि के वर्षो को निगम द्वारा निर्धारित आयु सीमा में प्रत्येक वर्ष हेतु 01 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। ~~निर्धारित आयु सीमा में अधिकतम छूट 10 वर्षो की होगी~~।

टैस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियो की एक प्रवीणता सूची जो उनके व्दारा टेस्ट में प्राप्त किये जाने वाले कुल अंको के अनुसार बनाई जायेगी तथा चालक के मण्डलवार उपलब्ध पदों पर नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

14— संविदा चालक पद हेतु छपा हुआ आवेदन पत्र का प्रारूप रिक्तियों हेतु विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थी इसी प्रारूप में निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ सम्बन्धित मण्डलीय कार्यालयों में आवेदन कर सकेगा। उक्त आवेदन पत्र A-4 के कागज पर स्पष्ट रूप से टंकित होना चाहिये।

15— जो अभ्यर्थी अन्तिम रूप से चयनित होगें उन्हें निगम में उनके पद के अनुरूप निगम के अधीन किसी भी डिपो में यथा आवश्यकता तैनात किया जा सकता है।

16— आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर **दिनांक 26.12.2016** तक पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा सीधे निम्न लिखित पते पर प्राप्त होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

देहरादून क्षेत्र हेतु— **कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन),उत्तराखण्ड परिवहन निगम, 66, गॉधी रोड़, देहरादून।**

नैनीताल क्षेत्र हेतु— **कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), मण्डलीय कार्यशाला, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, काठगोदाम।**

टनकपुर क्षेत्र हेतु— **कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन,निगम, टनकपुर।**

–:आवेदन पत्र का प्रारूपः–

अभ्यर्थी का स्वयं का हस्ताक्षरित एवं दिनांक सहित पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो

1– आवेदित पद का नामः–..

2– आवेदक का नामः–..

3– जन्मतिथिः–..

4– आयुः–(दिनांक 01.07.2016 को) ....वर्ष ....माह.............दिन)

5– पिता का नामः–..

6– स्थायी पताः–...

....

....

7– पत्र व्यवहार का पताः–...

....

....

8– जाति श्रेणी (सामान्य / पिछडी जाति / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति):–..

9– क्षैतिज आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र ––––––––––––––––––––––––––

10– बैंक ड्राफ्ट का विवरणः–बैंक का नामः–..., ड्राफ्ट संख्याः–..............................

देय धनराशिः–...

11– शैक्षिक योग्यताः–

12– सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण का विवरणः–

13– दूरभाष संख्या / मोबाइल नं0–1– 2–

14– तैनाती हेतु वरीयता क्रमः– 1:–

2:–

3:–

15– उत्तराखण्ड परिवहन निगम में कार्यरत एजेन्सी / बाहृय स्रोत के रूप में कार्यरत चालको को अधिमान्य अंको को दिये जाने हेतु उनका विवरणः–

डिपो का नामः–

कब से कार्यरत है– दिनांक माह वर्ष

निगम में कार्य करने की कुल अवधि–

घोषणा

मैं..पुत्र / पुत्री..घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे व्दारा दी गई उपरोक्त सूचना तथा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है, मेरे व्दारा इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है अथवा छुपाया गया पाया जाता है तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त किए जाने एवं मेरे विरूद्व समुचित कार्यवाही किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और निगम में प्राप्त की गयी नियुक्ति निरस्त करने पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होऊँगा।

स्थानः–.................................. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर................

दिनांकः–.. पूरा नामः–.......................